# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

**पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)**

प्रकरण सख्या: 99/15
जीसीएमएस नं. 2015/00374

दायर दिनांक: 15.09.2015

**उनवान**

1 कल्ला पुत्र परमोली 2 शिवदयाल पुत्र देवीराम (मृतक) 2/1 गंगादेई पत्नि शिवदयाल उर्फ शिवलाल 2/2 मुकेशचन्द 2/3 महेन्द्र कुमार 2/4 महेशचन्द पुत्रान शिवदयाल उर्फ शिवलाल 2/5 इन्द्रादेवी 2/6 मीना 2/7 ललिता देवी 2/8 पुत्रियान शिवदयाल उर्फ शिवलाल जातियान माली नि. कस्बा भुसावर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——वादीगण

बनाम

1 रमेशचन्द पुत्र मायाशंकर 2 प्रदीप 3 कुलदीप 4 पिन्टू 5 विनीत 6 नन्दन 7 पंकज 8 नीरज 9 मनीष पुत्रान रमेशचन्द जातियान ब्राह्मण नि. मंजू पाडा धोबी गली कस्बा भुसावर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता:–

1 श्री सुरेन्द्र चौधरी ——वादीगण
2 श्री चन्द्रशेखर तिवारी ——प्रतिवादीगण

## निर्णय दिनांक 26.03.2025

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 2617 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, 2619 रकबा 18 बिस्वा, 2620 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, 2660 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, 3861/2637 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा किता 05 कुल रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम भुसावर द्वितीय तह. भुसावर में स्थित है। जिसमें वादीगण वाहिस्सा बराबर के काविज काश्तकार एवं खातेदार है। वादीगण की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात मौके पर एक चक हो रही है। जिसमें वादीगण ने अपने–2 हिस्से अनुसार नींबूओं की बगीची लगा रखी है तथा कुछ हिस्से पर बाजरे व चरी की फसल बो रखी है, जो सरसब्ज खड़ी हुई है तथा डौल मैड चारों तरफ की बनी हुई है।

वादीगण द्वारा दावा पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावे तथा वादीगण को शान्ति पूर्वक उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा व रूकावअ पैदा नहीं करें तथा कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप नहीं करें।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा करायी गयी। नोटिस की ताईद में प्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा एवं जवाब दावा श्री चन्द्रशेखर तिवारी द्वारा पेश किया गया। दिनांक 07.02.2025 को वकील प्रतिवादीगण श्री चन्द्रशेखर तिवारी द्वारा दावा नो इन्स्ट्रैक्शन प्लीड किया गया है। वे अब इस दावे में पैरवी करना नहीं चाहते है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये।



उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

हमने बहस वादीगण वकील की सुनी गई। पत्रावली व इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड में अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाता है कि आ.ख.नं. 2617 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, 2619 रकबा 18 बिस्वा, 2620 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, 2660 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, 3861/2637 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम भुसावर द्वितीय तह. भुसावर जिला भरतपुर की उक्त आराजीयात में वादीगण के हिस्से के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट पैदा नहीं करें, कब्जे काश्त मे हस्तक्षेप नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनायें रखें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)